

प्रेस नोट दिनांक 05.07.2025

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा जघन्य हत्या का 24 घण्टे में किया गया खुलासा व अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

- ➡ हत्या कारित करने वाले 02 साथी गिरफ्तार – प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी युवक की हत्या-
- ➡ हत्या कर साक्ष्य छिपाने के प्रकरण में 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- ➡ शराब पिलाकर, नशे की हालात में गमछे व हथौड़ी से मारपीट कर की गई थी हत्या
- ➡ थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत रंगोली चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।
- ➡ गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त हथौड़ी व 02 अदद मोबाइल फोन व 01स्कूटी बरामद ।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 02.07.2025 को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ज्ञानीपुर (कृतपुर) निवासी वादी के भाई की आरोपीगणों द्वारा हत्या कर झाड़ियों में फेंक देने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 121/2025 धारा 103 (1)/238 बीएनएस बनाम 02 नामजद व कुछ व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा उक्त प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया गया कि विवेचना निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्वरित रूप से संपन्न कराई जाए तथा प्रकरण से जुड़ समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों का विधिसम्मत परीक्षण किया जाए। उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा निर्देशित किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये थे जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय के पर्वेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के नेतृत्व में थाना सांगीपुर थानाध्यक्ष श्री मनीष कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ०नि० रोहित कुमार, आरक्षी आकाश राय, चालक आरक्षी अवतार सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश अभियुक्त/वारण्टी, विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तों 1. शिवम गिरि पुत्र रामराज गिरि निवासी ग्राम ज्ञानीपुर (कृतपुर) थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़, 2. अवधेश गिरि पुत्र सतीश गिरि निवासी ग्राम मठीया सोनारी कला टीकरमाफी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत रंगोली चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त हथौड़ी व 02 अदद मोबाइल फोन व 01स्कूटी बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त शिवम गिरी ने पूछताछ में बताया कि मेरा घर तथा मृतक राज वर्मा का घर आसपास है। मेरी छोटी बहन से राज वर्मा का पिछले दो वर्ष से प्रेम सम्बन्ध था। मैंने तथा मेरे मामा का लड़का अवधेश गिरी ने कई बार राज वर्मा को मना किए थे कि मेरी बहन का पीछा छोड़ दो किंतु राज वर्मा नहीं माना था। तथा लगातार मेरी बहन के पीछे पड़ा रहा, करीब 20 दिन पहले मेरी पत्नी ने दोनों को एक साथ देख लिया था। तो मेरी पत्नी ने राज वर्मा को डांटा था। तो राज वर्मा ने मेरी पत्नी को जान से मारने की धमकी दिया था। और जब मेरी पत्नी ने यह बात मुझे बताई तो मैंने अवधेश को भी पूरी बात बताई तभी से हम दोनों ने मिलकर राज वर्मा को मारने का प्लान बना लिया था। दिनांक 02/07/2025 की शाम को मैंने तथा अवधेश ने शराब पिया तथा बाद में फोन करके राज वर्मा को भी शराब पीने के लिए बुला लिया हम तीनों लोग सगरा सुंदरपुर बाजार शराब की दुकान से शराब खरीदें व चाट चाउमीन की दुकान से मंचूरियन पैक कराये थे। फिर हम तीनों लोग दखिनहन का पुरवा की बाग में आकर झाड़ियां के पास बैठकर शराब पीने लगे। जब राज वर्मा नशे में हो गया तो हम दोनों लोगों ने मिलकर गमछे से उसका गला कस दिया था। फिर भी हम लोगों को लगा कि राज वर्मा अभी जिंदा है। तो गाड़ी की डिग्गी से हथौड़ी निकाल कर सिर पर हथौड़ी मार कर उसकी हत्या कर दिये थे। हत्या करके हम लोग स्कूटी से भाग गए रास्ते में खजूरी मोड़ से आगे बढ़ने पर एक मुर्गी फार्म दिखाई दिया उससे करीब 100 मीटर आगे सुनसान स्थान पर झाड़ी में उस हथौड़ी को मैं चलती गाड़ी से ही फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. शिवम गिरि पुत्र रामराज गिरि निवासी ग्राम ज्ञानीपुर (कृतपुर) थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
2. अवधेश गिरि पुत्र सतीश गिरि निवासी ग्राम मठीया सोनारी कला टीकरमाफी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।

बरामदगी-

- 1- हत्या में प्रयुक्त हथौड़ी व 02 अदद मोबाइल फोन व 01स्कूटी बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थानाध्यक्ष श्री मनीष कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 रोहित कुमार, आरक्षी आकाश राय, चालक आरक्षी अवतार सिंह थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

चोरी की घटना का खुलासा — कुण्डा पुलिस को बड़ी सफलता, 03 अपराधी गिरफ्तार, 01 अदद मोटर साइकिल बरामद

➡पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देश पर थाना कुण्डा पुलिस द्वारा चोरी की घटना के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 03 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

➡थाना कुण्डा पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत औसानगंज रोड पर हिसामपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी दिनांक 03/07/2025 को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत भक्ति धाम मनगढ़ मंदिर में दर्शन करने हेतु आया था । अपनी बाइक हीरो स्पेलेन्डर प्लस जो पार्किंग नं0 1 में खड़ा करके दर्शन करने चले गया था । दर्शन करके लौटने पर देखा गया तो वहाँ पर बाइक नहीं थी । काफी तलाश किया गया बाइक नहीं मिली । जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 174/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमर नाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ०नि० श्री राकेश भदौरिया, का० विनोद कुमार, का० अतुल कुमार, का० शुभम समदर्शी, का० कुलदीप माथुर, का० अतुल कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कुण्डा में पंजीकृत मु०अ०सं० 174/2025 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित 03 वांछित अभियुक्तों 01. अनिल कुमार बबबू केवट उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी शाहपुर थाना मेहवाघाट जनपद कौशाम्बी, 02. रोहित सिंह पुत्र स्व० शिवबहादुर सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी शाहपुर थाना मेहवाघाट जनपद कौशाम्बी, 03. भोला यादव पुत्र शिवबोध उम्र 28 वर्ष निवासी शाहपुर थाना मेहवाघाट जनपद कौशाम्बी को थानाक्षेत्र कुण्डा के औसानगंज रोड पर हिसामपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया। उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि यह मोटर साइकिल दिनांक 03.07.2025 को कृपालूधाम मनगढ़ की पार्किंग नं.01 से यह मोटरसाइकिल चोरी किया था। आज इसे बेचने के लिए ले जा रहे थे लेकिन आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. अनिल कुमार बबबू केवट उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी शाहपुर थाना मेहवाघाट जनपद कौशाम्बी।
02. रोहित सिंह पुत्र स्व० शिवबहादुर सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी शाहपुर थाना मेहवाघाट जनपद कौशाम्बी।
03. भोला यादव पुत्र शिवबोध उम्र 28 वर्ष निवासी शाहपुर थाना मेहवाघाट जनपद कौशाम्बी।

बरामदगी-

चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद।

पुलिस टीम-

उ0नि0 रविशंकर तिवारी मय हमराह उ0नि0 श्री राकेश भदौरिया, का० विनोद कुमार, का० अतुल कुमार, का० शुभम समदर्शी, का० कुलदीप माथुर, का० अतुल कुमार थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़

चोरी की घटना का खुलासा — देल्हूपुर पुलिस को बड़ी सफलता, 01 अपराधी गिरफ्तार, 02 अदद मोटर साइकिल बरामद

➡पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देश पर थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

➡थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत रानीगंज देल्हूपुर बार्डर तोकलपुर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.07.2025 को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत दुर्गा देवी डिग्री कॉलेज के पास में वादी ने अपनी मोटरसाइकिल को खड़ा किया था। कुछ समय बाद मोटरसाइकिल वहां से गायब थी। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 71 / 2025 धारा 303 (2) / 317 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधे बाबू के नेतृत्व में उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार मय हमराह उ0नि0 श्री रामसमुझ राम, का० हरवीर, हे0का0 हरिकेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना देल्हूपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 71 / 2025 धारा 303 (2) / 317 (2) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त रितेश यादव पुत्र शिवप्रसाद यादव निवासी

ग्राम यहियापुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत रानीगंज देल्हूपुर बार्डर तोकलपुर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 02 अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया । उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रितेश यादव पुत्र शिवप्रसाद यादव निवासी ग्राम यहियापुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

चोरी की 02 अदद मोटर साइकिल बरामद ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार मय हमराह उ0नि0 श्री रामसमुझ राम, का० हरवीर, हे0का0 हरिकेश कुमार थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

➡थाना हथिगवां पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया

➡अभियुक्त को थानाक्षेत्र हथिगवां के बेंती से कुंडा जाने वाले मार्ग पर बेंती चौराहा के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना हथिगवां प्रभारी निरीक्षक श्री नन्दलाल सिंह के नेतृत्व में म0उ0नि0 राखी सिंह मय हमराह का0 मानवेन्द्र सिंह, का0 विजय कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 122/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस से संबंधित 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- 01 बाल अपचारी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

म0उ0नि0 राखी सिंह मय हमराह का0 मानवेन्द्र सिंह,का0 विजय कुमार थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

➡पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी

हत्या का प्रयास,मारपीट,गलत तरीके से कैद करना, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

➡थाना हथिगवां पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को सीएचसी कुण्डा के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

वादिनी द्वारा सुलह न करने पर आरोपीगणों द्वारा दबाव बनाए जाने के क्रम में दिनांक 23.05.2025 को वादिनी के पुत्र को एक राय होकर तमंचे के बल पर जबरन उठा लिया तथा लाठी-डंडों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया । जिसके संबंध मे थाना हथिगवां पर वादिनी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 88/2025 धारा 191 (2)/191 (3)/190/127 (2)/117(2)/109/352/351(3) बीएनएस बनाम 06 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डां0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी कुंडा श्री अमर नाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी हथिगवां श्री नन्दलाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 प्रिंस तिवारी मय हमराह का0 अनिल यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी

अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना जेठवारा में पंजीकृत मु0अ0सं0 88/2025 धारा 191 (2)/191 (3)/190/127 (2)/117(2)/109/352/351(3) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों 01. धीरेन्द्र सिंह उर्फ दीपक सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी ग्राम कनपुरियान बेंती थाना हथिगवां प्रतापगढ़, 02.अभियुक्त शिवेन्द्र सिंह उर्फ वीपी सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी कनपुरियान बेंती उम्र करीब 32 वर्ष थाना हथिगवा प्रतापगढ़ को हथिगवां सीएचसी कुण्डा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1.शिवेन्द्र सिंह उर्फ वीपी सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी कनपुरियान बेंती उम्र करीब 32 वर्ष थाना हथिगवा प्रतापगढ़ ।
- 2.धीरेन्द्र सिंह उर्फ दीपक सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी ग्राम कनपुरियान बेंती थाना हथिगवां प्रतापगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1- शिवेन्द्र सिंह उर्फ वीपी सिंह निवासी ग्राम कनपुरियान बेंती थाना हथिगवां प्रतापगढ़-

1.मु0 अ0 सं0 16/25 धारा 191(2),333,126(2),115(2),352,351(3),76,309(4) BNS थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

2.मु0 अ0 सं0 88/25 धारा 191(2),191(3),190,127(2),117(2),109,352,351(3) BNS थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

2-धीरेन्द्र सिंह उर्फ दीपक सिंह पुत्रगढ़ रमेश सिंह निवासी ग्राम कनपुरियान बेंती थाना हथिगवां प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1.अ0 सं0 16/25 धारा 191(2),333,126(2),115(2),352,351(3),76,309(4) BNS थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

2.अ0 सं0 88/25 धारा 191(2),191(3),190,127(2),117(2),109,352,351(3) BNS थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 प्रिंस तिवारी मय हमराह का0 अनिल यादव थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सांगीपुर के उ०नि० ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह का० कुलदीप पाल के द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन, तलाश वांछित वारण्टी के दौरान मा० न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट प्रतापगढ़ के एसटी नं० 328/2012 क्राइम नं० 69/2006 धारा 323,325,504,506 भादवि व 3/1/10 एससी/ एसटी एक्ट राज्य बनाम अशोक सिंह जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित एक नफर वारण्टी अशोक सिंह पुत्र राजनारायण सिंह निवासी ग्राम लखनपुर सूर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को कस्बा सांगीपुर से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.अशोक सिंह पुत्र राजनारायण सिंह निवासी ग्राम लखनपुर सूर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
पुलिस टीम-

उ०नि० ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह का० कुलदीप पाल थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

➡प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

➡थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 04 अदद अवैध देशी बम के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

➡अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत नया माल गोदाम रोड रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में उ०नि० अंकित श्रीवास्तव मय हमराह कां० कणाद मुनि व का० सोनवीर द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, दिनांक 05.07.2025 को 04 अदद अवैध देशी बम के साथ 01 अभियुक्त मो० शोएब पुत्र मो० अख्तर उम्र करीब 35 वर्ष निवासी अचलपुर थाना को०

नगर जनपद प्रतापगढ को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत नया माल गोदाम रोड रेलेवे फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्त के पास से 04 अदद अवैध देशी बम की बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0- 302/25 धारा- 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मो० शोएब पुत्र मो० अख्तर उम्र करीब 35 वर्ष निवासी अचलपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01-मो० शोएब पुत्र मो० अख्तर उम्र करीब 35 वर्ष निवासी अचलपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ ।

1- मु0अ0सं0- 12/25 धारा 318(9) बीएनएस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ ।

2-मु0अ0सं0- 23/25 धारा 109(1),351(2),352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जनपद प्रतापगढ ।

3-मु0अ0सं0- 17/23 धारा 379,420,467,468 भादवि० थाना बदलापुर जनपद जौनपुर।

4-मु0अ0सं0- 902/02 धारा 419,420,406भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली।

5-मु0अ0सं0- 33/23 धारा 379 भादवि थाना सलोन जनपद रायबरेली ।

6-मु0अ0सं0- 34/23 धारा 379 भादवि थाना सलोन जनपद रायबरेली ।

7-मु0अ0सं0-39/23 धारा 34,307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सलोन जनपद रायबरेली ।

8-मु0अ0सं0- 22/21 धारा 417,420 थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ ।

बरामदगी-

04 अदद अवैध देशी बम ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० अंकित श्रीवास्तव मय हमराह कां० कणाद मुनि व का० सोनवीर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ ।